



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246395
CG-DL-E-08062023-246395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2413]
No. 2413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 18, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2023

का.आ. 2523(अ).—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मार्च, 2007 में प्रकाशित विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ) तारीख 12 मार्च, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के द्वारा अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनों को अधिसूचित किया है।

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और इस बात का समाधान किया है कि उक्त आदेश में ऊर्जा के अन्य उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता वर्ग को भी उक्त आदेश में अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग करने वाली इकाइयों जैसे चीनी, रसायन, सिरामिक, जिंक, कॉपर, ग्लास, पोर्ट ट्रस्ट, डेयरी, ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट, टायर विनिर्माता, फोर्जिंग, फाउंड्री, रेफ्रेक्ट्रीज यूनिट को सम्मिलित करने के लिए उक्त आदेश में संशोधन करने का विनिश्चय लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, अब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश का और संशोधन करती है और निम्नलिखित ऊर्जा गहन उद्योग और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में निर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

(i) उक्त आदेश में, पैरा 4 में, उप-पैरा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"9 लुगदी और कागज़ - प्रति वर्ष 7,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं";

(ii) उक्त आदेश में, उप-पैरा 14 के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(15) चीनी - चीनी संयंत्रों की इकाइयां या स्थापन जो चीनी और इसके भिन्न उत्पाद जैसे कि सफेद चीनी, ब्राउन चीनी और द्रव्य चीनी का उत्पादन कर रही हैं, प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष या उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करते हैं।

(16) रसायन - ऐसे रासायनिक संयंत्रों की इकाइयां या स्थापन जो निम्नलिखित रासायनिक चीजों का उत्पादन कर रहे हैं:

(i) क्षार रसायन (सोडा ऐश, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड);

(ii) अकार्बनिक रसायन;

(iii) कार्बनिक रसायन;

(iv) कीटनाशक (तकनीकी);

(v) डाई और पिगमेंट; और

(vi) फार्मास्यूटिकल्स [सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक]

प्रतिवर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा का उपभोग।

(17) सिरेमिक - प्रति वर्ष 5,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग वाले ऐसे सिरेमिक संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो विट्रीफाइड टाइल्स, फर्श टाइल, दीवार टाइल और सेनेटरी वेयर इत्यादि का उत्पादन कर रही हैं, जिसमें पत्थर के बरतन, चीनी मिट्टी के बरतन और आग की ईंट जैसे सभी प्रकार सम्मिलित हैं।

(18) कांच - कांच के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो कांच और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(19) जस्ता - जस्ता के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो जस्ता और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 20,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(20) तांबा - तांबे के ऐसे संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयाँ जो तांबे और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(21) पोर्ट ट्रस्ट - पोर्ट ट्रस्ट की ऐसी इकाइयाँ, जिनमें प्रति वर्ष 500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग होती है।

(22) डेयरी - ऐसे डेयरी संयंत्रों या स्थापनों की इकाइयां जो डेयरी और उसकी तैयार वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, जो प्रति वर्ष 2,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(23) ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट - ऑटोमोबाइल असेंबली संयंत्र या स्थापन की ऐसी इकाइयाँ जो ऑटोमोबाइल असेंबल करने का कार्य करती हैं, प्रति वर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(24) टायर विनिर्माता - टायर विनिर्माता संयंत्रों की ऐसी इकाइयाँ या स्थापन जो टायर बनाने का कार्य करती हैं, प्रति वर्ष 7,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

(25) फोर्जिंग - फोर्जिंग संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयां जो फोर्जिंग के अधीन हैं, प्रति वर्ष 1,500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।"

- (26) फाउंड्री - फाउंड्री संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयाँ जो फाउंड्री के अधीन हैं, प्रति वर्ष 5,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।"
- (27) रेफ्रेक्ट्रीज - रिफ्रेक्ट्री संयंत्रों या स्थापनों की ऐसी इकाइयाँ जो रिफ्रेक्ट्री और इसके तैयार उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं, प्रति वर्ष 3,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष और उससे अधिक की ऊर्जा उपभोग करती हैं।

[फा. सं. 10/13/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) सं. का.आ. 394(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात के कई संशोधनों में अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4165(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2023

S.O. 2523(E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency has notified the energy intensive industries and other establishments under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) (hereafter in this order referred to as the said Act) as designated consumers, vide notification of the Government of India, Ministry of Power, number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007 (hereinafter referred to as said order);

And whereas, the central government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the schedule to the said Act, and is satisfied that some other user or class of user of energy may be specified as designated consumer in the said Order;

And whereas, the Central Government has decided to amend the said order to include Sugar, Chemicals, Ceramic, Zinc, Copper, Glass, Port Trust, Dairy, Automobile Assembly Unit, Tyre Manufacturer, Forging, Foundry, Refractories units having specified energy consumption as designated consumers for the purposes of said Act

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said order and specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:-

- (i) In the said order, in paragraph 4, for the sub-paragraph 9, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -
“9. Pulp and Paper – 7,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.”’
- (ii) after sub-paragraph 14, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-
- (15) Sugar – Units of sugar plants or establishment those are under production of sugar and its variants such as white sugar, brown sugar and liquid sugar, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year or above.
- (16) Chemical– Units of such chemical plants or establishments those are under production of chemicals with the following items, namely:-
- (i) Alkali Chemical (Soda Ash, Potassium Hydroxide);
- (ii) Inorganic Chemicals;
- (iii) Organic Chemicals;
- (iv) Pesticides (Technical);
- (v) Dyes and Pigments; and
- (vi) Pharmaceuticals (Active Pharmaceutical Ingredient)
- having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year or above.

- (17) Ceramic- Units of such ceramic plants or establishments those are under production of vitrified tiles, floor tile, wall tiles and sanitary ware etc. including all variants such as stoneware, porcelain and fire bricks, having energy consumption of 5,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (18) Glass - Units of such glass plants or establishments those are under production of glass and its finished products, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (19) Zinc - Units of such zinc plants or establishments those are under production of zinc and its finished products, having energy consumption of 20,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (20) Copper - Units of such copper plants or establishments those are under production of copper and its finished products, having energy consumption of 10,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (21) Port Trust - Units of such Port Trust, having energy consumption of 500 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (22) Dairy - Units of such Dairy plants or establishments those are under production of dairy and its finished products, having energy consumption of 2,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (23) Automobile Assembly Unit - Units of such Automobile Assembly plants or establishments those are under automobile assembly, having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (24) Tyre Manufacturer - Units of tyre manufacturer plants or establishments those are under manufacturing of tyres, having energy consumption of 7,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (25) Forging - Units of such forging plants or establishments those are under forging, having energy consumption of 1,500 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (26) Foundry - Units of such foundry plants or establishments those are under foundry, having energy consumption of 5,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.
- (27) Refractories - Units of such Refractory plants or establishments those are under refractory and its finished products, having energy consumption of 3,000 metric tonne of oil equivalent per year and above.

[F. No. 10/13/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 19th March, 2007 and was last amended its various subsequent vide notification number S.O. 4165 (E) dated 7th September 2022.